

सत्यब्रत साहु, आईएस
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
बी-2 विंग, चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
फोन- 24361043, फैक्स: 24364113
वेबसाइट: www.ddws.nic.in

एफ-11014/61/2015-जल-II

प्रिय श्री,

यह सच है कि आईएमडी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके राज्य में पिछले मानसून ऋतु में वर्षा औसतन वर्षा से कम हुई है। इस वर्ष लगभग 18 राज्यों में जून से सितंबर की अवधि में कम वर्षा हुई है। अल्प वर्षा से पेयजल की कमी की स्थिति पैदा हो सकती है जिसके लिए समयबद्ध कार्य योजना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मुद्दे पर वैयक्तिक रूप से ध्यान दें और उपयुक्त आपातकालीन योजना तैयार करें ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। मार्गदर्शन हेतु मंत्रालय द्वारा तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया(एसओपी) का पालन करें। बेहतर होगा कि जन सामान्य के मध्य जल को व्यर्थ न गवाने हेतु सुझावात्मक सलाह प्रचालित किए जाएं। इसके अलावा केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों से निधियाँ लेकर विभिन्न जल संरक्षण उपाय भी किए जाएँ। सूखे जैसी स्थिति में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत उपलब्ध फ्लेक्सी निधि का भी उपयोग किया जाए। इस मामले पर की गई कार्रवाई से कृपया मंत्रालय को अवगत कराएँ।

सादर,

भवदीय,
हस्ताक्षरित
(सत्यब्रत साहु)

सेवा में,
प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

